राजस्व दावा संख्याः— 87 / 2022
रोहतास आदि बनाम अमरसिंह आदि
निर्णय दिनांकः— 12—12—2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी — सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर — 87 / 2022 GCMS No. 2022/191

1. रोहताश पुत्र फुसाराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. शिवाल }
3. हनुमान } पुत्रान गुला जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज

..........वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह }
2. महेन्द्र } पुत्रान सुरजा नवीरा तेजा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. भोजराम }
4. नरेश कुमार } पुत्रान रामेश्वर नवीरा तेजा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
5. श्योकरण पुत्र तेजा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. विमला देवी }
7. भरपाई }
8. मनी देवी } पुत्रियान जयदयाल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. रतिराम }
10. रामसिंह }
11. जगमाल } पुत्रान जयदयाल नवीरा नानगा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
12. शीशपाल }
13. शिवकुमार } पुत्रान श्योताज नवीरा नानगा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
14. अजयराज }
15. भरतराज } पुत्रान लखीराम नवीरा नानगा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
16. सुनिता पुत्री लखीराम
17. सन्तोष पत्नी लखीराम नवीरा नानगा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
18. जडावती पत्नी नत्थुराम
19. बंशीधर }
20. मुरलीधर } पुत्रान नत्थुराम

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

21. कौशल्या पुत्री नत्थुराम नवीरा फुसा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
22. गीता
23. चमेली देवी
24. सन्तरा
25. शकुन्तला पुत्रियान नवीरा हेमा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
26. सरीया पत्नी दाताराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
27. महीपाल पुत्र दाताराम नवीरा हेमा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
28. भगवाना पुत्र नानगा
29. दिपिका यादव }
30. निकिता यादव } पुत्रियान रोशनलाल नवीरा हेमा
31. राहुल यादव पुत्र रोशन लाल नवीरा हेमा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
32. सजना पत्नी रोशन लाल नवीरा हेमा जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
33. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कलां जरिये प्रबन्धक महोदय पचेरी कला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
34. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिर्र जरिये शाखा प्रबंधक महोदय भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
35. उप पंजियक महोदय, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्डदुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– **दिनांक 12–12–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 के खाता सं. 71 के खसरा नंबर 6 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 7 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 8 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में खातेदार दर्ज रिकार्ड में दाताराम पुत्र हेमा 1/3 जयदयाल श्योताज भगवाना पुत्रान नानगा हिस्सा 1/3 चन्दा पिता देवा 1/3 तेजा पुत्र हरसहाय हिस्सा 3 फुसिया गुला पिता विशना हि0 1 झुथा फसा पुत्रान आसा श्योक[illegible] गुला हि0 1 कुल हि0 8 कुल रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। वाद वर्णित भूमि [illegible] ख[illegible] नंबर के हाल खसरा नंबर निर्मित हुए खसरा नंबर 106 रकबा 2.11 है., ख.नं. 107 रकबा [illegible] है., ख.नं. 108 रकबा 0.40 है., ख.नं. 109 रकबा 0.88 है., ख.नं. 110 रकबा [illegible] है कुल रकबा 6.98 है. बने हैं। भू प्रबन्धक विभाग के द्वारा वादीगण के [illegible] फुसिया गुला पिता विशना का हिस्सा 1/8 भाग का नाम हजफ कर दिया गया जबकि बन्दोबस्त विभाग के द्वारा ना ही वादीगण को किसी प्रकार का नोटिस दिया ना ही सुनवाई का अवसर दिया। वादीगण के पूर्वजों का नाम हजफ कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दिया गया ऐसा बन्दोबस्त विभाग को करने का हक व अधिकार नहीं है इसलिए वादीगण को रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकार व हक है। वाद वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से उक्त भूमि में इस प्रकार दर्ज होने चाहए कि वादी सं. 1 का हि0 1/16 भाग, वादी सं. 2 व 3 हिस्सा 1/16 भाग, व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं. 6 लगा. 17 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं. 18 लगा. 21 का हिस्सा 1/16, प्रतिवादी सं. 22 लगा. 32 का हिस्सा 1/3 दर्ज होना चाहिए था लेकिन बन्दोबस्त विभाग के द्वारा फुसिया गुला पिता विशना के हिस्से 1/8 भाग को भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा अपने पूर्वजों के हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त हैं व निरन्तर बिना बाधा व व्यवधान के उक्त भूमि पर कृषि कार्य का रहे हैं। खसरा नंबर 106 में वादीगण द्वारा कुआ बना रखा है व उक्त ख.नं. 106, 107, 18, 109, 110 किता 5 कुल रकबा 6.98 है. भूमि में वादीगण अपने हिस्से को गौशाला के लिए किराये पर दे रखा है। गलत रिकार्ड के आधार पर यदि प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है इसलिए वाद का जब तक अंति निपटारा ना हो जावे तब तक प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। भू–प्रबन्धक विभाग की त्रुटि से वादीगण के पूर्वजों का नाम हजफ हो गये व वादीगण के पूर्वजों के हिस्से में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से गलत रिकार्ड की आड में अगर प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बेचान कर देता है तो वादीगण के हक व अधिकार पर शुन्य व विक्रय पत्र शुन्य घोषित किया जावे उक्त विक्रय पत्र वादीगण के अधिकार पर प्रथमतः शुन्य व निष्प्रभावी है जिसे क्रेता व वादीगण को कोई अधिकार व हक प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि में से 1/8 भाग कम कर वादी सं. 1 को 1/16 भाग व वादी सं. 2 व 3 को 1/16 भाग का खातेदार घोषित किया जावे शेष हिस्से अन्य प्रतिवादीगण के पूर्वजों के हिस्से में आयी भूमि के अनुसार विभाजित किया जावे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 के खाता सं. 6 के ख.नं. 106 रकबा 2.11 है., ख.नं. 107 रकबा 0.52 है., ख.नं. 108 रकबा 0.40 है., ख. नं. 109 रकबा 0.88 है., ख.नं. 110 रकबा 3.07 है. कुल किता 5 कुल रकबा 6.98 है. में से प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 32 के हिस्से में दर्ज भूमि में से कम कर वादी सं. 1 को 1/16 प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 के खाता सं. 6 के ख.नं. 106 रकबा 2.11 है., ख.नं. 107 रकबा 0.52 है., ख.नं. 108 रकबा 0.40 है., ख. नं. 109 रकबा 0.88 है., ख.नं. 110 रकबा 3.07 है. कुल किता 5 कुल रकबा 6.98 है. में प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 32 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि में रहन, बेचान, दान आदि न करें व प्रतिवादी सं. 35 को पाबन्द किया जावे उक्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ल गा. 32 के द्वारा पेश किया गया दस्तावेज तस्दीक ना करें। वाद का अंति निस्तारण होने तक अगर विक्रय पत्र हो जाये तो उक्त विक्रय पत्र का नामांतरकरण दर्ज ना किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 व 6 लगा. 17 तथा 22 लगा. 32 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम पचेरी खुर्द स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 के गत खसरा नंबर 6 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 7 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 8 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 29 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल ख.नं. ग्राम पचेरी से ग्राम अलीपुर अलग राजस्व ग्राम निर्मित होने पर हाल ख.नं. 106 रकबा 2.11 है., ख.नं. 107 रकबा 0.52 है., ख.नं. 108 रकबा 0.40 है., ख.नं. 109 रकबा 0.88 है., ख.नं. 110 रकबा 3.07 है. कुल किता 5 कुल रकबा 6.98 है. निर्मित हुए हैं उसमें 3/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 4 का है तथा 3/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 से 17 व 22 से 32

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

का है जिनके हिस्से 5.23 है. भूमि आती है जिसको प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते आये है तथा अब वर्तमान में अपना 5.23 है. हिस्सा श्री कृष्ण गौशाला बनाने हेतु बेचान कर दिया है। गलत रिकार्ड के वजह से प्रतिवादी सं. 1 से 4 व 6 से 17 तथा 22 से 32 के हिस्से में 0.19 है. भूमि अधिक दर्ज है यानि की 5.23 है.+ 0.19 है. कुल 5.42 है. दर्ज हो गई जिसकी प्रतिवादी को जानकारी रही है इसी वजह से प्रतिवादी ने मिलकर यह तय किया है कि वादीगण अपना 0. 19 है. भूमि लेना चाहे तो तब उक्त वाद प्रस्तुत करके प्राप्त करें तब प्रतिवादी सं. 10, 14 का वर्तमान हिस्सा 0.19 है. बनता है जिसका बेचान नहीं किया गया है वादीगण उनके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि की घोषणा अपने नाम से करवाकर जो रकबा प्रतिवादी सं. 1 से 4 व 6 से 17 तथा 22 से 32 के हिस्से में अधिक दर्ज है उसको प्राप्त कर सकते हैं शेष 0.68 है. भूमि प्रतिवादी सं. 5 व 18 से 21 के हिस्से में अधिक दर्ज है क्योंकि प्रतिवादी सं. 5 का वर्तमान में 1/9 हिस्सा दर्ज है जबकि उनका 1/16 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 18 से 21 का भी 1/9 हिस्सा है जबकि उनका 1/16 दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिवादी सं. 1 से 4 व 6 से 9 व 11 से 13 व 15 से 17 व 22 से 32 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है उन्होंने मिलकर 0.19 है. भूमि प्रतिवादी सं. 10 व 14 के हिस्से की छोड़ रखी है जिसको वादीगण अपने नाम से घोषणा करवा सकते है। शेष अपना हिस्सा गौशाला बनाने हेतु बेचान कर दिया है। इसलिए इन प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है तथा जो हिस्सा अधिक दर्ज है जो 0.19 है. उनको प्रतिवादी सं. 10, 14 की खातेदारी में छोड़ रखा है ताकि वादीगण दुरूस्त करवा कर प्राप्त कर सके। वादीगण ने भी अपना हिस्सा पूर्व में गौशाला को दे चुके हैं जिसका सिलान्यास भी हो चुका था तथा अखबार में भी निकला हुआ है लेकिन वादी सं. 1 बदमाश प्रवृति का है तथा उस पर काफी मुकदमें लम्बित है उसने जान बूझकर उक्त वाद पेश किया है जबकि उसको गलत रिकार्ड की सन् 2000 से जानकारी है तथा अब उसको पता चला कि प्रतिवादी अपना हिस्सा गौशाला बनाने के लिए बेचान कर दिया है तब उक्त झूठा वाद पेश किया है। फिर भी प्रतिवादीगण ने जो अधिक हिस्से 0.19 है. उसका बेचान नहीं किया है जो प्रतिवादी सं. 10, 14 का वर्तमान हिस्सा 0.19 है. है तथा वादीगण का प्रतिवादीगण के हिस्से में 0.19 है. भूमि ही अधिक दर्ज है जिस बाबत प्रतिवादी सं. 1 से 4 व 6 स 17 व 22 से 32 के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रतिवादी सं. 10, 14 व 18 से 21 के अलावा किसी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादीगण सं. 5, 18 से 21 व 33 से 36 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 6 ग्राम अलीपुर, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी संवत् 2018–21, संवत् 2025, नकल भू–प्रबन्ध विभाग कार्यवाही प्रपत्र, जमाबन्दी संवत् 2030–33 ग्राम पचेरी खुर्द पेश किये।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम पचेरी खुर्द संवत् 2012–2015, फोटो प्रति खतौनी मौजा पचेरी खुर्द ठिकाना तहसील व निजामत शेखावाटी, राज सवाई जयपुर, फोटो प्रति समाचार पत्र कटिंग, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2022 पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय [illegible]वली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक [illegible] एवं मनन किया गया। ग्राम पचेरी खुर्द स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 6, [illegible] 106, 107, 108, 109, 110 निर्मित हुए हैं तथा राजस्व ग्राम पचेरी [illegible] राजस्व ग्राम निर्मित हुआ है जो पत्रावली पर उपलब्ध खसरा मिलान [illegible] साबित है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 106, 107, 108, 109, 110 कुल किता 5 कुल रकबा [illegible].98 है. में से प्रतिवादी सं. 10, 14 व प्रतिवादी सं. 5, 18 से 21 को छोड़कर सभी खातेदारान ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 3/4 जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2022 को अन्य खातेदारान को बेचान कर दिया है जो पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र की फोटो प्रति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है। इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में वाद पत्र की खण्ड सं. 3 में अंकित वंशावली के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 106, 108, 108, 109, 110 कुल किता 5 कुल रकबा 6.98 है. में वादी सं. 1 को 1/16 हिस्से का व वादी सं. 2 व 3 को 1/16 हिस्से का अर्थात् 0.87 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदार प्रतिवादी सं. 10, 14 का उक्त खातेदारी से नाम हजफ किया जाने का व प्रतिवादी सं. 5 व 18 लगा. 21 की खातेदारी से 0.68 है. भूमि कम किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 5, 10, 14 व 18 से 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 12–12–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– **87 / 2022** निर्णय दिनांकः– **12–12–2022**

रोहतास आदि **बनाम** अमरसिंह आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदार, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से **श्री विकस शर्मा एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट मे इस वाद में आज तारीख 12–12–2022 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" अतः वाके ग्राम अलीपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 106, 108, 108, 109, 110 कुल किता 5 कुल रकबा 6.98 है. में वादी सं. 1 को 1 / 16 हिस्से का व वादी सं. 2 व 3 को 1 / 16 हिस्से का अर्थात् 0.87 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदार प्रतिवादी सं. 10, 14 का उक्त खातेदारी से नाम हजफ किया जाने का व प्रतिवादी सं. 5 व 18 लगा. 21 की खातेदारी से 0.68 है. भूमि कम किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 5, 10, 14 व 18 से 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **12–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested